

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
अधिघोषणा

दि. 25-04-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-सिराई, थाना नं०-391 चादर नं० 192 परगना- भागलपुर, जिला- बाँका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् औद्योगिक इकाईयों एवं संस्थानों की स्थापना के लिए आधार भूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से 101.12 एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं।

अर्जनाधीन खेसरा सं० - अंश 593,607,पूर्ण 608,609,अंश 611,612,620,624,पूर्ण 626,627,628,629,630,631,632,633,634,635, 636,637, 638, 639,अंश 640,पूर्ण 641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,अंश 654, पूर्ण 655,656,657, 658,659, 660, 661, 662, 663,664,665,666,667,668,669,670,675,अंश 679,681,पूर्ण 682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699, 700,701,702,703,704,564,705,706,707,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,730,731,732,733,73 4,735,736,737,738,755,756,757,758,759, 760,761,762,763,764,765,766,767,680

चौहद्दी निम्नप्रकार है:-

उत्तर:- 583,608,609अंश,583,629,611,629,627,640,628,629,635,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,644,697,695, 695, 695,695,663,647,650,647,658,654,654,632,670,670,670,660,670,662,662,666,691,685, 684,684,684,684, 684,675, 684, 681, 716,716,686,683,686,715,715,707,707,688,689,693,704,693,694,695,694,699,578,564,564,562,708,703,563,703,708,711,सड़क,711, सड़क,सड़क,सड़क,717,सड़क,सड़क,सड़क,719,सड़क,721,722,723,721,727,720,726, 730,730,730, 733,734,735, 736, 737, 754, 755,756,756,758,759,760,761,762,763,764, 765,766,681

पूरुब:- 592,607अंश, 593,593,610,610,611,623,627,620,620,583,631,632,633,634,635,636,637,638,639,583,583,581,696,641, 643,644,645,695,647,648,648,649,651,652,658,656,657,659,650,660,661,663,663,695,691,664,665,666,667,658,662,669,684, 683,686,685,664,691,690,686,689,693,691,694,694,699,698,696,697,581,580,580,564,564,564,701,699,699,704,605,706,708,711, 711,713,714,686,715,717,718,716,719,727,727,727,730,726अंश,716,730अंश,रास्ता,731,732,732,732,732,732,654,सड़क,सड़क, 758,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,769,681

दक्षिण :- 593अंश,607 अंश,607,608,611 अंश,612 अंश,620 अंश,624 अंश,625,624,627,611,629,629,629,629,629,629,629,629, 629,629,624,583,643,640,640,640,640,650,649,640,649,640,640,640,640,654,654,654,651,658,658,647,661,647,662,662,662, 662,662,670,657,670,675,679,683,684,675,684,683,686,690,691,685,663,691,694,695,646,641,641,581,698,699,703,703,704, 693,700,693,693,689,707,707,707,715,686,681,716,716,720,727,725,723,724,726,730,730,726,732,654,654,754,735,736,737, 738,739,756,758,759,759,760,761,762,763,764,765,766,772,768,679

पश्चिम:- 609,605,610,610,620,611,628,625,640,626,640,640,640,630,631,632,633,634,635,636,637,638,640अंश,643,695,644, 645,646,640,660,650,651,658,652,653,640,654अंश,654,655,656,654,657,659,660,670,662,684,666,667,668,669,675, 670अंश, 675 अंश,679अंश,681अंश,681,681,679,683,716,786,715,688,686,690,691,689,691,663,695,696,694,704,703,702,703,704,705,701,706, 707,713,713,713,714,715,717,716अंश,718,718अंश,721,722,सड़क,721,721,721,सड़क,721,723,सड़क,732,735,सड़क,सड़क,सड़क, सड़क,सड़क,सड़क,सिमाना,सिमाना,सिमाना,757,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,766,681

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, सिलेट या अन्य खनिजों एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित कि जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम XVIII, 1885 की धारा 3 खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
बाँका

अपर समाहर्ता,  
बाँका

समाहर्ता,  
बाँका

60/-  
(महेश्वर प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक 1145/रा.दिनांक 25-04-13

- प्रतिलिपि :-
1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।
  2. प्रभारी उपसमाहर्ता, जिला गजट बाँका को बाँका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
  3. समाहर्ता, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।
  4. अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  5. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।
  6. अंचल अधिकारी, बौसी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग, बिहार, पटना